न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 42/2019

सत्यवीर पुत्र श्री बनवारीलाल,जाति मेघवाल निवासी लालामण्डी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

-अपीलार्थी

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू

-रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम सत्यवीर अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 04/2017 निर्णय दिनांक 05.04.2017

उपस्थितिः-

1 .मुकेश कुमार सिंह, एडवोकेट ----- ----- -------अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक -----------रेस्पोडेन्ट की ओर से।

-निर्णय- दिनांक 30.10.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.04.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सत्यवीर मु0 नं0 04/2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि अदालत मातहत का आदेश दिनांक 05.04.2017 विरूद्ध कानून है। निर्णय दिनांक को अपीलांट स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं था। उक्त आदेश बिना अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये और बिना रेवन्यु रिकार्ड का अवलोकन किये महज कयास के आधार पर निर्णय पारित किया है। खसरा नंबर 126/1 पर लालामण्डी ग्राम के लगभग 50-60 व्यक्तियों के मकानों में पानी बिजली के कनेक्शन लगे हुये हैं व टेलीफोन की लाईन लगी हुई है तथा इस आबादी में आबाद व्यक्तियों के घरों में टेलीफोन के कनेक्शन भी लगे हुये हैं। अपीलांट का उक्त भूमि पर 60 वर्षों पूर्व से कब्जा है तथा पक्के मकानात बनाकर आबाद हैं। प्रार्थी अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, इसके अलावा

43
अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

प्रार्थी के पास अन्य कोई आवासीय भूमि नहीं है। पटवारी हल्का ने केवल अकेले व्यक्ति प्रार्थी अपीलांट के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलांट के अलावा उक्त विवादित भूमि पर लगभग 50 घर आबाद है ज़िनके विरूद्ध पटवारी ने किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 5.4.2017 विरूद्ध कानून एवं पत्रावली है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.4.3027 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– विवादित भूमि पर अपीलांट 60 वर्ष पूर्व से पक्के मकानात बनाकर आबाद है। विवादित भूमि पर करीब 50 परिवार ओर भी आबाद है। सभी के घरों में बिजली पानी के कनेक्शन जुड़े हुये हैं। हल्का पटवारी द्वारा अकेले अपीलांट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.4.3027 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश दिनांक 05.04.2019 पारित किया गया है। पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 27.1.2017 के अनुसार ग्राम लालामण्डी स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 126/1 किस्म गैर मु0 के रकबा 41.14 में रकबा 0.02 हैक्टर भूमि पर अवैध रूप से टीन सैड बनाकर एवं पत्थर डालकर अनाधिकृत अतिक्रमण करना बताया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2017 उनवानी सरकार बनाम सत्यवीर मु0नं0 04/2017 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अपर कलेक्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राज.)

अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनू

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनू

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू